



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21012023-242136
CG-DL-E-21012023-242136

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 350]
No. 350]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 20, 2023/पौष 30, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 20, 2023/PAUSHA 30, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2023

का.आ. 364(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड राज्य में रा.मा. सं. 334ए के किमी 0 29 में हड़वाहा नाले पर 40 मी. स्पान के पी.एस.सी. गर्डर सेतु के निर्माण हेतु उक्त अनुसूचि के स्तम्भ (4), स्तम्भ (5), स्तम्भ (6) और स्तम्भ (7) में क्रमशः उल्लिखित जिलों, तालुकों पुलिस थानों और गांवों से सम्बन्धित उक्त अनुसूचि के स्तम्भ (3) की तत्थानों प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भू-खण्ड के सम्बन्ध में इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से अनुसूचि के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारियों के कृत्यों का पालन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

उत्तराखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-334A पर भूमि का अधिग्रहण

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी,	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	उत्तराखण्ड	हरिद्वार	लक्सर	1 दाबकी खुर्द

	हरिद्वार)	NH334A के कि.मी. 28.8 से 28.88 तक			
--	---------------	--	--	--	--

[फा. सं. RO/NH-334A/UR/2020-21/572/LA]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th January, 2023

S.O. 364(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for Construction of 40m span PSC girder bridge over Hadvaha Nala at km 29 of Purkazi Lakshar Haridwar NH-334A in District Haridwar in the State of UTTARAKHAND.

SCHEDULE**Land acquisition on National Highway No. NH-334A in the State of UTTARAKHAND.**

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Special Land Acquisition Officer, Haridwar ()	28.8KM To 28.88KM	UTTARAKHAND	HARIDWAR	Laksar	1 Dabaki Khurd

[F. No. RO/NH-334A/UR/2020-21/572/LA]

RAJESH GUPTA, Director